



कार्यालय प्राचार्य कलानिकेतन पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, जबलपुर

प्रवेश पत्रक

1. छात्र/छात्रा का नाम.....
2. पिता का नाम
3. रोल नं.....शाखा.....
4. केटेगरी (स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें).....प्रकरण क्र.....
5. पिता की वार्षिक आय
- (वर्तमान आय प्रमाण पत्र जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो संलग्न करें)
6. स्थायी पता.....
-
7. वर्तमान पता/स्थानीय पता.....
-
8. कक्षा टर्म/सेमेस्टर में प्रवेश.....सत्र.....
9. पूर्व के अनुत्तीर्ण विषयों के कोड
-
10. ग्रीन कार्ड का नं. एवं तारीख.....

वचन पत्र

मैं वचन देता/देती हूँ कि सत्र 20.....-20..... में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहूंगा/रहूंगी एवं रैगिंग जैसी कुप्रथा में लिप्त होने पर संस्था द्वारा दिये गये दण्ड को मान्य करूंगा/करूंगी।

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा.....को.....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

शाखा.....टर्म /सेमेस्टर में प्रवेश दिया जावे।

शैक्षणिक लिपिक के हस्ताक्षर

शैक्षणिक प्रमुख के हस्ताक्षर

अनुमोदन प्राचार्य

जमा की गयी राशि का विवरण

(बैंक से प्राप्त बालान की फार्म वाली प्रति संलग्न करें)

बालान क्र.दिनांक.....

राशि (अंको में).....शब्दों में.....

हस्ताक्षर लेखापाल

संलग्न:- (1) स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अंकसूची, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की प्रवेश की रसीद की फोटो प्रति लगाना अनिवार्य है।

(2) ग्रीन कार्ड धारक 13 मई 2003 वर्ष के पहले वालों को ही छूट प्रदान की जावेगी।

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण पत्र

(नोटरी करवाना आवश्यक है)

1. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र में पुत्र/पुत्री.....श्री/श्रीमती/सुश्री.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से संबंधित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि :-
 - (क) मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी।
 - (ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आती हो।
5. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पायी गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर दिन..... महीना..... वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है, न ही गलत बयान दिया है।

हस्ताक्षर दिन..... महीना..... वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

Note (नोटरी कराना आवश्यक है)

माता-पिता/अभिभावक का शपथ -पत्र

1. श्री/श्रीमती/सुश्री..... (पिता-माता/अभिभावक का पूर्ण पता)
माता/पिता/अभिभावक.....(विद्यार्थी का पूर्ण पता
प्रवेश/पंजीकरण/पंजीकरण संख्या).....(संस्था का नाम).....
संस्था में प्रवेश लिया है। रैगिंग निषेध से संबंधित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधी
विनियम-2009 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और मुझे पूरी तरह से जानकारी है किसी तरह की रैगिंग के लिए उकसाता
है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं शपथपूर्वक निश्चय करता हूँ कि -
(क) मेरे पुत्र/पुत्री किसी तरह के रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लेंगे।
(ख) मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूंगा/दूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत
आती हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाई गयी तो मेरे पुत्र/पुत्री को
विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे
पुत्र/पुत्री के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया
है और मेरे पुत्र/पुत्री को ऐसे मामले में पाया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

नाम

पता

दूरभाष नं.

सत्यापन

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है। शपथ पत्र में किसी तरह के
तथ्य को न ही छिपाया है, न ही गलत बयान दिया है।

सत्यापित.....स्थान.....दिन.....महीना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिन.....महीना.....वर्ष.....दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों
को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त